हमारें अधिकार व कानून 1

संगिनी

हमारें अधिकार व कानून 1

सम्पादन
सौमित्र रॉय, प्रार्थना मिश्रा, अनुपा

कम्पोजिंग
निरंजन वर्मा, पिंकी वर्मा

प्रकाशक
संगिनी-जेण्डर रिर्सोस सेन्टर

वित्तीय सहयोग
एक्शन एड

मुद्रक
मेश प्रिंट्स, भोपाल

इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री का उपयोग कोई भी
व्यक्ति या संस्था कर सकती है इसके लिए अनुमति की
आवश्यकता नहीं है। यदि स्रोत का उल्लेख कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा।

सीमित वितरण हेतु

हमारें अधिकार व कानून 1

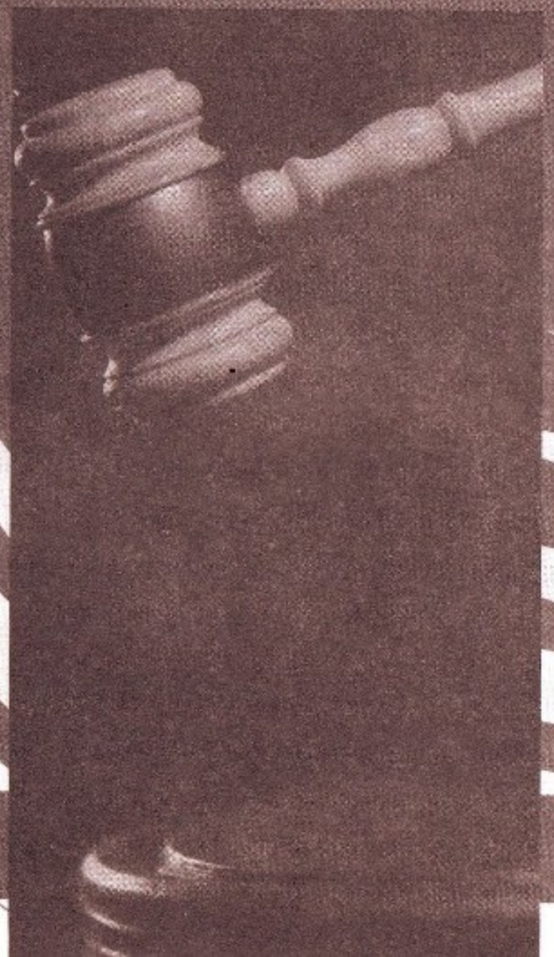

अपनी बात...

महिलाओं के अधिकार व कानून एक ऐसा विषय है जिसके बारें में बहुत ही कम बात की जाती है। साधारण परिस्थिति में महिला अपने साथ होने वाली हर जायज / नाजायज व्यवहार के बारें में कोई कानूनी प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाती है। यदा कदा यदि वह कुछ करना भी चाहती है तो उसे सामाजिक दायरों में ही अपनी बात कहने तथा मामलें को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती है। आम तौर पर घर के अन्दर महिला के साथ किया जाने वाला बर्ताव भी कानून के दायरे में आता है, इस बारें में महिलाओं के बीच बहुत कम सोच है।

सामान्य परिस्थिति में महसूस किया गया है कि गॉव में रहने वाली हो या शहर की, पढ़ी लिखी हो या अनपढ, नौकरी पेशा हो या गृहणी अधिकांश महिलाओं को अपने हित में बने कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं होती है। बहुत बार कोर्ट कचहरी के चक्कर से घबरा कर अपने खिलाफ होने वाली हिंसा , बुरे बर्ताव, अधिकारों का हनन आदि को सहते हुए भी महिलाएं चुप रहती हैं । संगिनी का मानना है कि इस बारें में महिलाओं को जागरुक किया जाए साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के साथ उन कानूनों की जानकारी भी सामान्य रुप में दी जाए, जिससे महिलांए अपने अधिकारों को प्राप्त करें और सम्मानजनक ढंग से जी सके।

महिला अधिकारों को प्राप्त करने तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने की दिशा में महिलाओं के लिए बने कानूनों की महत्ती भूमिका है। इस बारें में जानकारी का प्रसार इसकी उपयोगिता को बढ़ाएगा इस विश्वास के साथ संगिनी ने " हमारें - अधिकार और कानून " पुस्तिका का प्रकाशन करने की सोची है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य महिलाओं को उन संवैधानिक व कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देना है जहॉ राज्य उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस पुस्तिका को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें महिलाओं से जुड़े कानूनी पहलुओं और उनके उपयोग से जुडें प्रक्रियाओं के बारें में जानकारी दी गई है। साथ ही हमने कोशिश की है कि महिलाओं के अधिकारों को भी कानूनों के साथ रखा जाय ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त करने में कानूनों की मदद ले सके।

पुस्तिका के इस पहले भाग में हम महिलाओं के खिलाफ हाने वाली हिंसा, खास तौर पर बलात्कार, घरेलु हिंसा, कन्या भ्रुण हत्या, लिंग परीक्षण, श्रम कानून आदि के बारें में सामान्य जानकारी देने का प्रयास कर रहें है। साथ ही महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार विशेष रुप से गिरफ्तारी के समय महिलाओं के अधिकार के बारें में हम जानकारी दे रहें है।

इस पुस्तिका को तैयार करने में अनेक संस्थाओं के प्रकाशनों से सामग्री लिया गया है। हम उन सभी के आभारी है। विशेष रुप से हम एक्शन एड भोपाल के आभारी है जिसने इस पुस्तिका को तैयार करने में मार्गदर्शन व वित्तीय सहयोग दिया।

संगिनी के सहयोगी संस्थाओं, महिला अधिकार व कानून पर कार्यरत संस्थाएं व वो सभी लोग जो महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और अपने स्तर पर इस पुस्तिका को तैयार करने में हमारी मदद की इन सभी का आभार।

आंशा है हमारा यह प्रयास महिलाओ को उनके अधिकार दिलाने तथा उनके लिए बने कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने की परिस्थिति बनाएगा। हमारें इस प्रयास के बारें में आपके सुझावों व टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा।

संगिनी समूह

विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	बलात्कार निरोधक कानून	1
2.	कानून की नजर में बलात्कार	1
3.	अगर आपके साथ भी बलात्कार हुआ हो तो	2
4.	बलात्कार पीड़ित महिला के कानूनी अधिकार	4
5.	घरेलू हिंसा क्या है?	5
6.	कौन से मामले किस अदालत में	6
7.	महिला हिंसा : अपराध और सजाएं	7
8.	अवेक्षणीय व गैर अवेक्षणीय अपराध	8
9.	घरेलू हिंसा : किससे मदद मांगे	9
10.	लिंग परीक्षण निषेध कानून 1994 (संशोधित 2002)	9
11.	श्रम कानून	11
12.	समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976	12
13.	कामगार दुर्घटना मुआवजा अधिनियम 1923	14
14.	मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या करें ?	16
15.	ठेका श्रम अधिनियम	17
16.	अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरी कानून 1979	17
17.	पुलिस और महिला के अधिकार	18
18.	गिरफ्तारी के समय	18
19.	तलाशी	19
20.	पूछताछ	19
21.	जमानत	19
22.	अदालत में महिला के अधिकार	20

बलात्कार निरोधक कानून

बलात्कार महिलाओं के साथ किया जाने वाला नृशंसतम अपराध है। यह पुरुषों की मानसिक विकृति को तो पर्दशित करता ही है, इसके साथ ही महिला के प्रति यह किया जाने वाला वह प्रहार है जिसका शारीरिक से गहरा मानसिक असर पड़ता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोलकाता में हुए एक बलात्कार के मामले में अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई, जिसकी काफी चर्चा हुई। पर दुःखद तो यह है कि अधिकांश बलात्कार के मामले घर की चारदीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाते क्योंकि इसे परिवार की इज्जत से जोड़ कर देखा जाता है। साथ ही यह भी एक भयावह सच है कि कई मामलों में बलात्कार महिला के अपने ही निकटतम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

कानून की नजर में बलात्कार क्या है ? किन परिस्थितियों में सजा का प्रावधान है ? बलात्कार होने की स्थिति में महिला को क्या करना चाहिए ? किस प्रकार से कानूनी मदद ली जा सकती हैं इस बारें में हम यहॉ कुछ चर्चा करते हैं ।

कानून की नजर में बलात्कार क्या है ?

अगर कोई पुरूष किसी स्त्री से बगैर उसकी सहमति के यौन संबंध कायम करता है तो वह बलात्कार कहलाएगा। महिला नाबालिग हो, यानी उसकी उम्र 16 साल से कम हो तो फिर यदि उसकी मर्जी से भी यौन संबंध हुआ हो तो भी वह बलात्कार ही कहलाएगा और कानून में इसके लिए आपराधिक संहिता की धारा 376 के तहत दंड का प्रावधान है।

इन परिस्थितियों में यौन संबंध बलात्कार कहलाएगा।

- जब किसी महिला को डरा–धमकाकर उसके साथ यौन संबंध कायम किया जाए।
- अगर किसी महिला को इस बात का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध कायम किया जाए कि वह (संबंधित व्यक्ति) उसका पति है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने पर।
- किसी महिला को नशा करवाकर उसके साथ शारीरिक संबंध कायम करने पर।

- सोलह साल से कम उम्र की किसी लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर। फिर चाहे वह लड़की इस तरह के संबंध के लिए राजी ही क्यों न हो।
- 15 साल से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध कायम करने पर। इस मामले को भी बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा, फिर चाहे वह यौन संबंध बनाने वाले की पत्नी ही क्यों न हो।

इसके अलावा :

- किसी बालिका का यौन उत्पीड़न करने पर।
- किसी महिला का सामूहिक बलात्कार।
- गर्भवती महिला का बलात्कार।

अन्य परिस्थितियां -

- पुलिस अभिरक्षा (लॉक अप) में बलात्कार।
- अस्पताल में बलात्कार।
- नारी निकेतन में किसी स्त्री से बलात्कार।
- किसी पुरूष के किसी महिला के साथ उसकी इच्छा से विरूद्ध यौन संबंध बनाने के सभी प्रमाण मिलने पर।
- उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आरोपी के कृत्य को बलात्कार माना जाएगा।

सजा

- कम से कम 7 साल की जेल।
- अधिकतम 10 साल की जेल या फिर उम्र कैद

अगर आपके साथ भी बलात्कार हुआ हो तो -

- नहाएं नहीं, जब तक कि बलात्कार की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज न हो जाए।

- बलात्कार की शिकार महिला को वे कपड़े नहीं धोने चाहिए, जो वह बलात्कार की घटना के समय पहने हुए थी।
- बलात्कार की शिकार महिला को तुरंत घटना के बारे में अपने परिजनों को सूचित करना चाहिए।
- बलात्कार के बाद जितनी जल्दी हो सके, घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराएं और

1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना से जुड़ी सारी बातें लिखवाएं।

2 यही प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराधी को सजा दिलवाने में आपका सबसे कारगर हथियार है।

3 रिपोर्ट पर तभी दस्तखत करें, जब उसमें लिखी बातें आपको पूरी पढ़कर सुना दी जाए।

4 इस रिपोर्ट की एक कापी तुरंत प्राप्त करें। यह मुफ्त में मिलती है।

5 बलात्कार की शिकार महिला के कपड़े पुलिस एक सीलबंद बक्से में डालकर सुरक्षित रख देती है।

6 बक्से में रखे सामानों का ब्योरा समेत रसीद भी पुलिस से प्राप्त करना न भूलें।

7 इसके बाद पुलिस बलात्कार की शिकार महिला को मेडिकल जांच के लिए ले जाती है। इससे यह पता चलता है कि स्त्री के साथ संभोग हुआ है अथवा नहीं।

8 मेडिकल रिपोर्ट की कापी भी पीड़ित महिला को दी जाती है।

9 अगर पुलिस बलात्कार पीड़ित महिला को आरोपी की पहचान या शिनाख्त करने के लिए कहे तो उसे निडर होकर पुलिस की मदद करनी चाहिए।

कानून आपके साथ है

कानून के मुताबिक -

- बलात्कार की शिकार महिला के मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए।
- बलात्कार की शिकार महिला का नाम धारा 228 (दंड संहिता) के तहत सार्वजानिक / प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

- बलात्कार की शिकार महिला की कोई तस्वीर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती।

बलात्कार पीड़ित महिला के कानूनी अधिकार

- बलात्कार पीड़ित महिला को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर आरोपी को सजा दिलवाने तक के दौरान वकील की कानूनी मदद लेने का पूरा अधिकार है।
- पुलिस का भी कर्त्तव्य है कि वह महिला को उसके कानूनी अधिकार के बारे में पूरी जानकारी दे।
- पुलिस को उन वकीलों की सूची भी पीड़ित महिला को देनी चाहिए, जो उसके मामले की पैरवी कर सकते हैं।
- अदालत चाहे तो पुलिस के लिखित आवेदन पर पीड़ित महिला को तुरंत वकील की सेवा उपलब्ध करा सकती है।

परामर्श व चिकित्सा का अधिकार

- बलात्कार पीड़ित महिला को सदमें व मानसिक प्रतारणा की स्थिति से उबरने के लिए परामर्श सहायता और चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का भी अधिकार है।

रिपोर्ट दर्ज करने में देरी

यदि किसी कारण से (जो कि अदालत के मुताबिक वाजिब हो) महिला अपने साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने में देर कर देती है तो भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को महिला के साथ हुए अपराध की गंभीरता को कम करने वाला कारण नहीं मानता।

घरेलू हिंसा विरोधी कानून

रोकथाम एवं संरक्षण कानून

यह एक आम सच्चाई है कि पूरी दुनिया में बहुत सी औरतें घरेलू हिंसा की शिकार हैं। शादी के बाद पत्नी के साथ मारपीट की बात किसी जाति, धर्म, अमीर–गरीब के फासले से बाहर एक आम घटना है जो किसी भी विवाहिता के साथ हो सकती है। औरत को मारना–पीटना दरअसल पुरूष के उस परंपरागत पितृसत्तात्मक रवैए की झलक है,

जिसे दर्शाकर वह स्त्री को दबाकर रखना चाहता है। ऐसा कर वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि पत्नी अपने पति की जायदाद होती है और वह उसका जब चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है।

घरेलू हिंसा क्या है?

इसे समझने के लिए एक छत की नीचे रहने वाले दो व्यक्तियों – स्त्री व पुरूष के बीच घरेलू संबंध को समझना होगा।

घरेलू संबंध – एक ऐसा संबंध जो एक घर में, एक ही छत के नीचे रहने वाले स्त्री व पुरूष के बीच होता है। जो कि –

1. आपसी सहमति से 2. शादीशुदा तरीके से 3. वैवाहिक संबंध के नजरिए से 4. दत्तक (गोद लिए हुए) 5. परिवारिक सदस्य के तौर पर संयुक्त परिवार में साथ–साथ रहते हों।

पीड़ित महिला – घरेलू हिंसा के मायनों में पीड़ित महिला वह है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उपरोक्त किसी तरह से संबंधित हो और घरेलू हिंसा से पीड़ित हो।

परिभाषा :– कानून की धारा 4 के तहत निम्न परिस्थितियों में की गई किसी भी कार्रवाई को घरेलू हिंसा माना जाएगा। मिसाल के तौर पर –

- महिला को चोट पहुंचाना, घायल करना, शारीरिक–मानसिक रूप से तकलीफ देना, शारीरिक व यौन दुर्व्यवहार, गाली–गलौच या आर्थिक उत्पीड़न।
- दहेज, संपत्ति या कीमती सामान की मांग पूरी करने के लिए परेशान करना या उत्पीड़ित करना।
- मार–पीट, शारीरिक–मानसिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

कौन से मामले किस अदालत में

दीवानी अदालत में	फौजदारी अदालत में
■ जिला परिवारिक अदालत में या फिर जिला अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लिखित आवेदन दें, जिसमें आपके साथ हो रहे अत्याचारों का ब्योरा हो। यह काम वकील के निर्देशन में ही करें। ■ लिखित आवेदन को याचिका भी कहा जाता है। इसमें आप मजिस्ट्रेट के सामने यह मांग कर सकती हैं कि आपको तत्काल किस तरह की राहत चाहिए। ■ इसके साथ एक हलफनामा भी दायर करें जो आपका वकील तैयार करेगा। ■ साथ में अदालत की फीस– 20 से 25 रुपए भी देने होंगे। ■ आप चाहें तो पति को एक निश्चित समय में अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी कर सकती हैं या फिर अपने संरक्षण के लिए अदालत से फौरन आदेश जारी करने का निवेदन भी कर सकती हैं। ■ इसे एकपक्षीय निर्देश कहा जाता है और इसके बारे में पति व ससुराल पक्ष को कोई जानकारी नहीं दी जाती। ■ मामले की सुनवाई होने से चार हफ्ते पहले अदालत आरोपियों (पति या उसके समेत) के खिलाफ अदालत में हाजिरी को नोटिस बतौर सम्मन जारी करती है। ■ याद रखें। मामले की सुनवाई होने तक आप अंतरिम राहत की हकदार हैं। ■ यदि आप परिवारिक अदालत के आदेश में कोई बदलाव चाहती हैं तो इसके लिए आपको उच्च न्यायालय जाना होगा।	■ इस तरह का मामला तभी दायर करें जब संबंध हद से ज्यादा बिगड़ चुके हों और बात बनने के आसार न हों। ■ सबसे पहले अपने परिजनों या किसी सहेली के साथ थाने जाएं। अपने साथ हुए अत्याचार का पूरा ब्योरा कागज पर पहले लिख लें और हर हाल में अवेक्षणीय (गंभीर) शिकायत दर्ज कराएं। ■ अवेक्षणीय अपराध करने पर पुलिस आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ■ थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं और इसकी कापी मुफ्त प्राप्त करें। ■ गैर अवेक्षणीय अपराध के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस आपको एक एनसी नंबर देगी। ■ अभियुक्त को आमतौर पर छानबीन पूरी होने तक पुलिस हिरासत में रखा जाता है। लेकिन यदि छानबीन पूरी न हुई हो तो अभियुक्त के जमानत पर छूटने का आप विरोध कर सक़ती हैं। ■ पति या ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद जरूरी है कि आप अपने मां–बाप, परिजनों या सहेली के साथ रहें। ■ अवेक्षणीय अपराध की ही शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस अभियुक्त के खिलाफ खुद ही मुकदमा चलाएगी और आपको केवल सुनवाई के दिन ही अदालत में हाजिर होना होगा।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिये यह बहुत जरुरी है कि सब सताने वाले पुरुष चाहें वह महिला का पति ही क्यों न हो, उन्हें महिला के खिलाफ हुए अपराध के लिए जबावदेह बनाया जाय और दोषियों को सजा मिले। शायद यही एक तरीका है जिससे महिला हिंसा को भी गंभीर अपराध माना जाए और भविष्य में महिला हिंसा पर रोक लगें।

आमतौर पर फौजदारी की शिकायत तब दर्ज की जाती है जब सम्बन्ध हद से ज्यादा बिगड़ चुके होते हो और दोनों पक्ष अलग हो चुके होते है। ज्यादातर गंभीर अपराध असमाधेय होते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि एक बार यदि फौजदारी का मामला दर्ज किया जा चुका हो तो अदालत के बाहर उस पर समझौता नहीं किया जा सकता । इस बारें में अदालत ही या तो मुलजिम को निर्दोष ठहरा सकती है या दोषी ठहरा सकती है या रिहा कर सकती है । इस बारें में मामला दर्ज कराने के बाद आप भी उसे वापस नहीं ले सकती। इसलिए फैजदारी की शिकायत दर्ज करने के पहले अच्छी तरह सोच लें।

महिला हिंसा : अपराध और सजाएं

धारा नं.	अपराध	अवेक्षणीय / गैर अवेक्षणीय	सजा
323	महिला को जानबूझकर चोट पहुंचाना।	गैर अवेक्षणीय	एक साल जेल / 1000 रु. जुर्माना
324	हथियार से घातक चोट पहुंचाना।	अवेक्षणीय	3 साल जेल / जुर्माना / दोनों
325	जानबूझकर गहरी चोट पहुंचाना।	अवेक्षणीय	7 साल जेल / जुर्माना
326	घातक हथियार से गहरी चोट पहुंचाना।	अवेक्षणीय	आजीवन कारावास / 10 साल की कैद / जुर्माना
327	संपत्ति / धन ऐंठने के लिए चोट पहुंचाना या अपराध के लिए प्रेरित करना।	अवेक्षणीय	10 साल कैद / जुर्माना
329	उपरोक्त मकसद से गहरी चोट देना।	अवेक्षणीय	आजीवन जेल / जुर्माना / दोनों
338	प्राणघातक चोट पहुंचाना।	अवेक्षणीय	2 साल जेल / जुर्माना / दोनों
341	गलत तरह से महिला को कैद करना।	अवेक्षणीय	2 साल जेल / जुर्माना / दोनों
344	10 से ज्यादा दिन तक कैद रखना।	अवेक्षणीय	3 साल कैद व जुर्माना
347	दहेज के लिए महिला को कैद रखना।	अवेक्षणीय	3 साल कैद व जुर्माना

अवेक्षणीय व गैर अवेक्षणीय अपराध

भारतीय दण्ड संहिता (इण्डियन पेनल कोड) जिसमें अपराधों की परिभाषा है जो अपराध को अवेक्षणीय (कागनिजेबल) और गैर अवेक्षणीय (नॉन कागनिजेबल) की श्रेणी में बॉटती है। अवेक्षणीय अपराध में में पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति को मजिस्टेट के वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है। गैर अवेक्षणीय अपराध में गिरफ्तारी के लिए मजिस्टेट का वारंट होना जरुरी है।

घरेलू हिंसा व आपराधिक नियम

अपराध	दंडात्मक धाराएं	सजा
■ विवाहित महिला के साथ पति/ससुराल पक्ष की क्रूरता, अत्याचार	धारा 498 ए	3 साल
■ हत्या या समकक्ष दंडनीय अपराध	धारा 299–300	
■ दहेज हत्या	धारा 304 बी	उम्र कैद
■ आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	धारा 305–306	10 साल
■ महिला (गर्भवती) के पेट पर चोट करना जिससे गर्भपात हो जाए,	धारा 312–318	
■ घातक, गहरी, गंभीर चोट पहुंचाना	धारा 318–324	3 माह से 7 वर्ष
■ बलात्कार या यौन अपराध	धारा 375–377	2–10 साल
■ आपराधिक विश्वासघात	धारा 405	1–7 साल
■ विवाह अपराध	धारा 493–498	7 साल
■ महिला की इज्जत पर हमला, शीलभंग का प्रयास, अपमानजनक कार्रवाई	धारा 354–509	1–2 साल

घरेलू हिंसा : किससे मदद मांगें

१. न्यायपालिका

कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, महिला व पारिवारिक अदालतें, महिला लोक अदालत।

२. पुलिस

महिला थाने, विशेष प्रकोष्ठ, सामुदायिक पुलिस संगठन।

३. समाज कल्याण संस्थाएं

समाज, कल्याण बोर्ड की परामर्श शाखाएं, राज्य अनुरक्षण गृह, जिला स्तरीय प्रकोष्ठ।

गैर सरकारी संगठन -

हेल्पलाइन सेवा, विधिक परामर्श सेवा, आपातकालीन केंद्र, आश्रय घर।

लिंग परीक्षण निषेध कानून १९९४ (संशोधित २००२)

लिंग परीक्षण महिलाओं के प्रति किया जाने वाला आधुनिक अपराध है। पहले के समय में लड़की पैदा होने के बाद उसे मार देने की प्रथा कुछ परिवारों में थी। आधुनिक तकनीकि ने इस काम को और भी सरल बना दिया है जिसमें लिंग परीक्षण के माध्यम से गर्भस्थ शिशु के बारें में जान लिया जाता है कि वह लड़का है या लड़की। यदि वह लड़की हुई तो गर्भपात के जरिए उसे खत्म करा दिया जाता है, और इस प्रकार एक जीव को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है।

इस बुराई को रोकने के लिए लिंग परीक्षण निषेध कानून 1994 में संसद ने बनाया और 1996 में इसे पारित किया गया। इस कानून में 2002 में संशोधन भी किया गया।

इस कानून के तहत -

- गर्भ में पल रहे बच्चे की आनुवांशिकता बताने वाले किसी भी परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला या नर्सिंग होम को गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण का अधिकार नहीं है।
- गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाएं लेना भी कानूनी अपराध है।

- कोई भी डाक्टर, प्रसूति विशेषज्ञ या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लिंग परीक्षण करने की सख्त मनाही है।
- केवल कुछ ही परिस्थितियों को छोड़कर शेष सभी में गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना मना है।
- विशेष परिस्थितियों में जबकि गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण किया गया हो, परीक्षण करने वाले चिकित्सक को गर्भवती महिला या उसके पति व रिश्तेदार को लिंग (लड़का या लड़की) बताने का अधिकार नहीं है।

- सोनोग्राफी या ऐसी किसी भी आधुनिक तकनीक से गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण नहीं किया जा सकता।
- बिना पंजीकरण के कोई भी नर्सिंग होम या आनुवांशिक परीक्षण केन्द्र अपने यहां सोनोग्राफी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता ।
- कोई भी नर्सिंग होम अपने यहां लिंग परीक्षण की सुविधा मौजूद होने का प्रचार नहीं कर सकता।

- लिंग परीक्षण तकनीक से लैस नर्सिंग होम को अधिकृत रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
- किसी भी स्थिति में अनुवांशिक विकारों को पता लगाने वाला अधिकारी , गर्भवती महिला, उसके परिवार या किसी भी रिश्तेदार को शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी नहीं देगा।

सजाएं

- लिंग परीक्षण सुविधा का प्रचार करने पर तीन साल तक की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है।
- लिंग परीक्षण करने वाले डाक्टर को भी इतनी ही सजा और जुर्माना हो सकता है। आरोप अधिक गंभीर पाए जाने पर सजा की अवधि पांच साल और जुर्माना 50 हजार तक का हो सकता है। डाक्टर की मान्यता भी खत्म की जा सकती है।
- लिंग परीक्षण में सहायता करने वालों को भी 3–5 साल की सजा और 50 हजार से एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
- लिंग परीक्षण कराने वाली गर्भवती महिला पर कोई सजा आमद नहीं होती है।
- लिंग परीक्षण गैर जमानती अपराध है।
- मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश की अदालत में होती है।
- लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

श्रम कानून

न्यूनतम मजूदरी कानून 1948

न्यूनतम वेतन पाने का हक किसे है?

1. अस्थाई कामगारों, जैसे पत्थर तोड़ने वाले या सड़क बनाने वाले।
2. बाड़ी बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले।
3. दिहाड़ी पर काम करने वाले। जैसे खदान में काम करने वाले या भवन निर्माण मजदूर।
4. ठेकेदार के पास काम करने वाले।
5. बगीचे में काम करने वाले।
6. कृषि मजदूरों को ।

किसे कितनी मजदूरी

न्यूनतम वेतन किसे कितना दिया जाए, यह मजदूरी करने वाले की उम्र को देखकर तय किया जाता है। उम्र की यह सीमा –

1. 14 साल से कम।
2. 18 साल से अधिक।
3. 14 साल से 18 साल तक के व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी अलग–अलग होती है।

काम की शर्तें

1. एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, जिसमें एक घंटा आराम का समय तय होता है।
2. इससे ज्यादा समय तक काम करवाने पर वह ओवर टाइम की श्रेणी में आएगा और उसके लिए दिन या घंटे के हिसाब से अतिरिक्त वेतन देना होगा।
3. सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देनी ही होगी।
4. मजदूरी का भुगतान नकद करना होगा।
5. वेतन का भुगतान प्रतिदिन प्रति घंटे या प्रतिमाह के हिसाब से किया जाता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

समान काम, एक समान वेतन

अक्सर देखा जाता है कि मजदूरी करने वाले महिला और पुरुषों में मजदूरी की दर को लेकर भेदभाव किया जाता हैं महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा समान काम के लिए कम मजदूरी दिया जाता है। इस तरह से उनका लिंग के आधार पर शोषण किया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए समान पारश्रिमक अधिनियम बनाया गया।

इस कानून के तहत कहा गया कि महिला और पुरुष को एक ही तरह के काम के लिए एक जैसा वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। इसमें यह बिल्कुल जरुरी नहीं है कि काम हुबहू एक जैसा हो। इस अधिनियम में एक जैसा काम

को परिभाषित करते हुए कहा गया कि वो काम जो मिलते जुलते हो और जिनमें करीब करीब एक जैसी मेहनत लगती हो।

महिलाओं के लिए

1. एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।
2. महिलाओं से ओवर टाइम करवाना मना है।
3. लगातार पांच घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता।
4. महिलाओं से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम लिया जा सकता है।
5. महिलाओं से किसी चलती मशीन की सफाई या उसमें तेल डालने जैसे खतरनाक काम करवाना मना है।

फैक्ट्री अधिनियम 1948

बच्चों के लिए

1. इस कानून के तहत बच्चों को 15 वां साल लगने से पहले किसी भी फैक्ट्री में काम पर नहीं रखा सकता।
2. केवल 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे ही फैक्ट्रयों में काम कर सकते हैं। लेकिन् –
   - ➔ उनसे साढ़े चार घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता ।
   - ➔ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कराने की मनाही है।
   - ➔ ज्यादा से ज्यादा दो शिफ्टों में काम करवाया जा सकता है।
   - ➔ सप्ताह में एक दिन की छुटटी अनिवार्य है।

महिलाओं के लिए

1. फैक्ट्रयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

2. जिन फैक्ट्रयों में 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती हों, वहां उनके बच्चों को रखने के लिए एक अलग क्रेश (झूलाघर) जरूर होना चाहिए।
3. महिलाओं को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए।

प्रसूति सुविधा कानून 1961

1. गर्भावस्था के दौरान
2. प्रसूति के बाद या मातृत्व के शुरूआती महीनों में

➔गर्भावस्था के दौरान प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी देना अनिवार्य है।

➔प्रसूति के बाद पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी।

इस तरह गर्भवती महिला कामगार को प्रसूति से पहले और बाद में कुल मिलाकर तीन माह की छुट्टी देना अनिवार्य है और इस दौरान उसका वेतन नहीं काटा जा सकता और न ही काम पर गैरहाजिर रहने पर नौकरी से निकाला जा सकता है।

- सरकारी नौकरी में महिलाएं गर्भवस्था के समय पूरे 135 दिनों का अवकाश ले सकती हैं और इस दौरान उनका वेतन भी नहीं काटा जा सकता।
- गर्भवती महिला कामगार को 250 रुपए की सहायता चिकित्सा के लिए दी जाती है।
- अगर किसी गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाए तो उसे 45 दिन का अवकाश दिया जाना अनिवार्य है।
- बच्चे के 15 माह का होने तक फैक्ट्री में काम करने वाली उसकी मां को दिन में तीन बार उसे दूध पिलाने का समय देना होगा।

कामगार दुर्घटना मुआवजा अधिनियम 1923

मुआवजा कब मिलता है ?

1. जब किसी कामगार को अपने काम के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा हो।

2. उसे अपने काम की वजह से कोई बीमारी लग गई हो और उसे इलाज की जरूरत हो। तब मुआवजे के रूप में कारखाना मालिक को क्षतिपूर्ति मुआवजा देना ही होगा।
3. काम के दौरान किसी दुर्घटना के कारण या फिर काम की वजह से उपजी बीमारी का शिकार होकर कामगार की मृत्यु हो जाने पर भी कारखाना मालिक अथवा ठेकेदार के लिए मुआवजा देना आवश्यक है।

कामगार की मौत पर मुआवजें के वारिस

1. कामगार अगर पुरूष है तो उसकी विधवा पत्नी को मुआवजा मिलेगा।
2. कामगार की नाबलिग संतान, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो।
3. मृतक कामगार की कुंवारी लड़कियां।
4. विधवा मां।
5. मृतक का कोई अपाहिज बेटा या बेटी, चाहे वह बालिग हो या फिर नाबालिग।
6. अगर मृतक एक महिला कामगार है तो उसके पति और बच्चे, जो उसकी कमाई पर ही निर्भर थे, को ही मुआवजा मिलेगा।

ऐसे काम, जहां दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाना चाहिए-

- पुरानी चीजों को बदलकर नया बनाकर बेचने वाले उघोगों में, जैसे स्क्रैप मेकिंग, रिपेयरिंग आदि। ऐसे कारखानों में 20 से अधिक लोग काम करने चाहिए।
- लिफ्ट, ऊंचे मकान या वाहन पर सामान को चढ़ाने–उतारने का काम करने वाले हम्माल, कुली या मजदूर।
- फैक्टरी, भूमिगत खदान, रेल या डाक–तार का काम करने वाले श्रमिक।
- इमारत, बांध, सड़क, पुल, सुरंग आदि को बनाने, निर्माण या उन्हें गिराने का काम करने वाले।
- ट्यूबवेल का रखरखाव करने वाले।

- लाइनमैन या बिजली का काम करने वाले।
- ट्रेक्टर या अन्य कृषि यंत्रों से खेती का काम करने वाले मजदूर।

मुआवजे की रकम का निर्धारण

मुआवजे की रकम का निर्धारण निम्न आधारों पर किया जाता है–

- किस तरह की दुर्घटना हुई है।
- दुर्घटनाग्रस्त मजदूर/कामगार का वेतन कितना है ?
- दुघटनाग्रस्त मजदूर की उम्र कितनी है।

मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या करें ?

- दुर्घटना के शिकार कामगार को अथवा मौत हो जाने पर उसके वारिस को नियोक्ता के पास एक नोटिस भेजकर घटना की पूरी सूचना और क्षति का आकलन देना चाहिए। इसमें दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक का वेतन और आश्रितों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
- मुआवजे का दावा दुर्घटना घटने के दो साल के भीतर कभी भी किया जा सकता है।

दुर्घटना के फौरन बाद क्या करें।

- दुर्घटनागस्त कामगार को तुरंत किसी रजिस्टर्ड डाक्टर के पास ले जाएं और उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं।
- दुर्घटना के समय फैक्ट्री में मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम–पते अपने पास सुरक्षित रखें।
- अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और चश्मदीद गवाहो के बयान की कापी भी पास रखें।

ठेका श्रम अधिनियम

कानून कहता है कि -

- यदि कोई किसी ठेकेदार के जरिए किसी को काम पर रखता है तो मालिक को रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- यदि कोई ठेकेदार 20 या उससे ज्यादा मजदूरी किसी मालिक को देता है तो ठेकेदार के पास सरकारी लाइसेंस होना चाहिए।

ठेका मजदूरों को सुविधाएं

- 6 साल से छोटे बच्चों के लिए दो कमरे हो जिसमें एक कमरा खेलने व दूसरा सोने के लिए हो।
- साफ पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था हो।
- तीन माह तक चलने वाले काम में आराम की सुविधा। इसमें विश्राम व सोने की जगह शामिल है।
- महिलाओं के लिए एक अलग कमरा हो।
- 100 से ज्यादा मजदूरों के लिए 6 माह तक चलने वाले काम में भोजनालय का प्रबंध भी होना जरूरी है।

अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरी कानून 1979

जो भी ठेकेदार किसी दूसरे राज्य से पांच या उससे ज्यादा मजदूरों की भर्ती करें उसके पास उस राज्य की सरकार का लाइसेंस होना जरूरी है।

ऐसे में ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह -

- मजदूर को बैंक का खाता खुलवाकर दे।
- विस्थापना भत्ता दे।
- आने–जाने का किराया दे।

- दुर्घटना या मृत्यु पर संबंधित राज्य की सरकार को सूचना दे।
- उस प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराए।
- मकान, डाक्टरी इलाज, खाने–पीने आने–जाने का खर्च व छोटे बच्चों के लिए झूलाघर की व्यवस्था भी करें।

पुलिस और महिला के अधिकार

गिरफ्तारी – पुलिस द्वारा किसी अपराधी को अपनी हिरासत में लेना गिरफ्तारी कहलाता है।

गिरफ्तारी के समय -

- पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही यह भी कि आपका जुर्म क्या है?
- गिरफ्तारी के दौरान महिला से जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
- थाने ले जाने के लिए महिला को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती।
- महिला की गिरफ्तारी के समय साथ में महिला पुलिस कर्मी होनी चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर महिला अपने वकील की कानूनी सलाह भी ले सकती है।
- महिला अपनी सुरक्षा के लिए संबंधित रिश्तेदार या सहेली को पुलिस थाना ले जा सकती हैं
- महिलाओं को गिरफ्तारी के बाद महिलाओं के लॉकअप में ही रखना अनिवार्य हैं।
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना आवश्यक है।
- अवेक्षणीय अपराध को छोड़कर अन्य सभी में शाम छह बजे के बाद महिला को गिरफ्तार करना असंवैधानिक है।
- अगर गिरफ्तारी के समय महिला बीमार हो तो वह पुलिस अभिरक्षा में ही चिकित्सकीय मदद की मांग कर सकती है।

तलाशी

- सिर्फ एक महिला ही किसी महिला की तलाशी ले सकती है।
- तलाशी होने से महिला तलाशी लेने वाली महिला पुलिसकर्मी की स्वयं तलाशी ले सकती है।
- मकान, दुकान की तलाशी व संदिग्ध वस्तुओं की बरामदगी के समय आस–पास के किन्हीं दो निष्पक्ष / प्रतिठित व्यक्तियों की गवाही जरूरी है।
- अगर महिला अपने परिजनों के साथ हो तो उसकी तलाशी अकेले में नहीं ली जा सकती।
- तलाशी के बाद बरामद सामान का एक पंचनामा बनता है।

पूछताछ

- किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया जा सकता है, मगर –
- इसके लिए जांच अधिकारी को लिखित आदेश देने होंगे।
- किसी महिला को या नाबालिग लड़की को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता ।

जमानत

गिरफ्तारी के बाद

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस कुछ बातों के लिए जमानत पर रिहा कर सकती है। जमानत या मुचलके की रकम कितनी होगी, यह पुलिस या मजिस्ट्रेट तय करता है।

जमानती अपराध में पुलिस किसी के व्यक्तिगत मुचलके पर अभियुक्त को रिहा कर सकती है, मगर गैर जमानती प्रकरण में जमानत देने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट को ही है।

पुलिस की जिम्मेदारी

- गिरफ्तारी के समय पुलिस को अभियुक्त महिला को यह बताना जरूरी है कि उसका अपराध जमानती है या गैर जमानती।
- जमानत के समय पैसे नहीं दिए जाते। केवल एक प्रपत्र पर जमानत की रकम लिख दी जाती है, जिसे मुचलका कहते हैं।
- जमानत होने के बाद पुलिस किसी महिला को एक मिनट के लिए भी हिरासत में नहीं रख सकती।

अदालत में महिला के अधिकार

- महिला अपना बयान पुलिस स्टेशन व अदालत दोनों जगह देने का अधिकार रखती है।
- अदालत से अपने लिए निःशुल्क कानूनी सहायता मांग सकती है।
- अगर पुलिस हिरासत में उसे चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध न कराई गई हो तो वह उसकी शिकायत अदालत से कर सकती है।
- पुलिस हिरासत में मारपीट, प्रतारणा की शिकायत अदालत में करने का महिला को पूरा अधिकार है।
- अपने लिए न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है।
- अगर कोई पुलिस कर्मचारी थाने में किसी महिला की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो महिला सीधे जिला अदालत जाकर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है।
- मजिस्ट्रेट इस शिकायत को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश पुलिसकर्मी को दे सकती है।

हमारे बारे में....

संगिनी महिलाओं का एक संदर्भ समूह है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ लैंगिकता के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना है। संगिनी महिला मुद्दों पर कार्य करने के लिये कटिबद्ध है, ख़ास तौर पर एक ऐसे समाज की स्थापना के लिये, जहां समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था हो। इसके लिये हम इस संदर्भ केंन्द्र के द्वारा महिला मुद्दों पर शोध अध्ययन, दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण, प्रकाशन आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दों को केन्द्र में लाते हुए, ऐसे सवाल उठाए जाएं, जिनका जवाब हमारे ही इर्द गिर्द फैला हुआ है। आगामी समय में संगिनी महिला मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं, संगठनों, व स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे लोगों के लिये एक संदर्भ केंद्र बन सके साथ ही महिलाओं के लिए बने कानून का प्रभावी तरके से क्रियान्वयन हो सके यही हमारा प्रयास है।

संगिनी के कार्यों और उद्देश्यों में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि संगिनी महिला हिंसा को जड़ से समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है। भविष्य की रणनीति में भी संगिनी निरंतर अपने लक्ष्यपूर्ति की लिये कार्य योजना में संलग्न है। जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थानीय समूहों व स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को जेंडर व महिला हिंसा के संदर्भ में काम करने के लिए तैयार करना है। इसके लिए इन कार्यकर्ताओं को महिला मुद्दों के विभिन्न पक्षों पर काम करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने समूह में साथियों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में महिला हिंसा के खिलाफ माहौल बना सकें तथा समुदाय के महिलाओं के प्रति नज़रिये में परिवर्तन ला सकें।

साथ ही संगिनी शोध व दस्तावेजीकरण के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों का विश्लेषण कर समाज के सामने प्रस्तुत करती है तथा उनके बेहतर विकल्पों को आगे लाने के लिये प्रयासरत है। इसके अलावा संगिनी सूचना व जानकारी के माध्यम से संदर्भ केन्द्र के रूप में अपनी भूमिका के तहत नियमित रूप से महिला मुद्दों पर प्रकाशन सामग्री का निर्माण व प्रसार कर रही है।

संगिनी स्वैच्छिक संस्थाओं तथा समूहों के साथ गठजोड़ के माध्यम से विभिन्न अभियानों के तहत महिला मुद्दों को विकास के केन्द्र में लाने का प्रयास कर रही है।

संगिनी

जेण्डर रिर्सोस सेन्टर

ई 6/127 अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462 016

फोन - 0755-5276158, ई मेल – sanginicenter@rediffmail.com

वित्तीय सहयोग : एक्शन एड , भोपाल